3406
16 NOV 2022
Web

सूचना का अधिकार के अंतर्गत छ.ग.स्टे.पॉ.ट्रांस.कं.लिमि. में प्रथम अपीलीय अधिकारी श्री एम.के.बंछोर, अधीक्षण अभियंता (उपकेन्द्र –संचा./संधा.) रायपुर

अपील प्रकरण क्रमांक निरंक/2022 दिनांक 16.11..2022

श्री विजय राव देवरणकर
कबीर नगर, रायपुर
अपीलार्थी

विरूद्ध

श्रीमती ईश्वरी सिंह बरगोती
जनसूचना अधिकारी
ट्रांसमिशन कंपनी, रायपुर
प्रतिअपीलार्थी

–:: आदेश ::–

(दिनांक 16.11.2022 को पारित)

अपीलार्थी श्री विजय राव देवरणकर, रायपुर ने यह अपील जनसूचना अधिकारी, सह कार्यपालन अभियंता (उपकेन्द्र –संचा./संधा.) छ.ग. स्टे. पा. ट्रांस. कं. लिमि., रायपुर के निर्णय दिनांक 06.10.2022 से व्यथित होकर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 6 (3) के अंतर्गत प्रस्तुत की है।

2) प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री विजय राव देवरणकर द्वारा आवेदन क्र. निरंक दिनांक 24.06.2022 (जनसूचना अधिकारी को दिनांक 15.09.2022 को प्राप्त) के माध्यम से निम्नलिखित जानकारी चाही गई है:–

आपके कार्यालय से जारी निविदा क्र. S/s-O&M-12/21-24/71 या 72 dated 30.04.2021 में गार्ड कार्य हेतु निर्धारित अधिकतम 45 वर्ष की आयु हेतु अपनाई गयी नियमावली या केन्द्र शासन का आदेश या छत्तीसगढ़ शासन का आदेश या श्रम विभाग का आदेश या ऊर्जा विभाग का आदेश या छ.ग.वि.मंडल का आदेश, या अन्य जिसके तहत यह नियम लगाया गया है , उसकी सत्यापित प्रति।

3) अपील की सुनवाई दिनांक 16.11.2022 को समय 12:00 बजे निर्धारित कर, उभय पक्ष को सूचित किया गया। सुनवाई तिथि को जनसूचना अधिकारी एवं अपीलार्थी उपस्थित हुए। अतः प्रकरण में सुनवाई की कार्यवाही संपन्न की गई।

4) संपन्न कार्यवाही का बिन्दुवार विवरण निम्नानुसार है:–

(अ) अपील की सुनवाई के दौरान संबंधित अभिलेखों/दस्तावेजों का अवलोकन कर, अपीलार्थी एवं प्रतिअपीलार्थी (जनसूचना अधिकारी) के तर्क श्रवण किये गये।

(ब) <u>अपीलार्थी का कथन :–</u> अपीलार्थी का कथन इस प्रकार है कि उनके द्वारा चाही गई जानकारी को जनसूचना अधिकारी द्वारा कोई दिशा–निर्देश/आदेश इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है जो कि सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) का उल्लंघन है जिसके तहत जानकारी विभाग से संबंधित नहीं होने पर संबंधित विभाग के लोक प्राधिकारी को अंतरित कर आवेदक को सूचित करना होता है। किन्तु चाही गई जानकारी आपके कार्यालय से जारी निविदा की है जिसमें गार्ड कार्य हेतु अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष रखा गया है।

अतः निवेदन है कि इस आयु निर्धारण हेतु प्राप्त दिशा–निर्देश या आदेश या श्रम विभाग का आदेश या नियमावली जिसमें 45 वर्ष की आयु निर्धारण का उल्लेख हो, की सत्यापित प्रति/मार्गदर्शन प्रदान करने की कृपा करें।

(स) **प्रतिअपीलार्थी का कथन :–** प्रतिअपीलार्थी (जनसूचना अधिकारी) का पक्ष कथन : कंडिका 02/–टीप के संबंध में कार्यालयीन पत्र क्रमांक 143 दिनांक 06.10.2022 के माध्यम से आवेदक को यह जानकारी दी गई कि इस कार्यालय से जारी निविदा क्र. S/s-O&M-12/21-24/71 व 72 dated 30.04.2021 में गार्ड कार्य हेतु निर्धारित अधिकतम 45 वर्ष की आयु के संबंध में शासन के कोई दिशा–निर्देश/आदेश इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं हैं। तथापि शासकीय सेवा में भर्ती के लिये अधिकतम आयु सीमा सम्बन्धी छ.ग. शासन के परिपत्र क्रमांक एफ 3–2/2015/1–3 दिनांक 30/01/2019 की प्रति इस कार्यालय में उपलब्ध है। अपीलार्थी को उक्त परिपत्र की प्रति उपलब्ध करायी जा सकती है।

5) प्रकरण में आये तथ्यों से प्रतीत होता है कि प्रतिअपीलार्थी (जनसूचना अधिकारी) द्वारा दिया गया तर्क अधिनियम के तहत न्यायसंगत है, जो स्वीकार योग्य है। अतः अपीलार्थी को अधिनियम के प्रावधानों के तहत सूचना/जानकारी के रूप में छत्तीसगढ़ शासन के पत्र क्रमांक एफ 3–2/2015/1–3 दिनांक 30/01/2019 की प्रति निःशुल्क उपलब्ध कराई जावे।

तद्नुसार यह अपील प्रकरण (पंजीयन क्रमांक निरंक दिनांक 28.10.2022) एतद् द्वारा ''आर्डर शीट'' के अनुसार आदेश पारित करते हुए नस्तीबद्ध की जाती है।

16/11/22

(एम.के.बंछोर)
प्रथम अपीलीय अधिकारी सह अधीक्षण अभियंता
कार्या.–कार्यपालक निदेशक(उपकेन्द्र –संचा./संधा.)
छ.ग.स्टे.पा.ट्रांस.कं.लिमि. रायपुर

क्रमांक :– 02–07/अपील प्रकरण /147 रायपुर, दिनांक 16/11/2022
प्रतिलिपि :–

1. जनसूचना अधिकारी सह कार्यपालन अभियंता, कार्या.–कार्य. निदे.(उपकेन्द्र –संचा./संधा.) छ.ग.स्टे.पा.ट्रांस.कं.लिमि. रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
2. श्री विजय राव देवरणकर, एल.आई.जी. ब्लॉक 19/219, कबीर नगर, आदर्श चौक के पास जिला–रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ प्रेषित।
3. कार्यपालक निदेशक (EITC), छ.ग.स्टे.पॉ.डिस्ट्री.कं.लिमि.,रायपुर –उक्त आदेश को कंपनी के वेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करें।

इस आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी चाहें तो छ.ग. राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील आवेदन निम्नांकित पते पर, इस आदेश के प्राप्त होने की तिथि से 90 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर सकते हैं।

पता :– सचिव,
छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग,
अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

16/11

(एम.के.बंछोर)
प्रथम अपीलीय अधिकारी सह अधीक्षण अभियंता
कार्या.–कार्यपालक निदेशक(उपकेन्द्र –संचा./संधा.)
छ.ग.स्टे.पा.ट्रांस.कं.लिमि. रायपुर

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रथम अपीलीय अधिकारी श्री एम.के. बन्छोर, अधीक्षण अभियंता (उपकेन्द्र– संचा/संधा.) छ.ग.स्टे. पा. ट्रांस कं. लिमि., रायपुर

क्रमांकः 02–07/आर.टी.आई./147 दिनांक 16/11/2022

// आर्डर शीट //

(1) अपील प्रकरण क्रमांक व दिनांक : निरंक दिनांक 28.10.2022

(2) अपीलार्थी का नाम : श्री विजय राव देवरणकर, रायपुर

(3) विषय : टेण्डर दिनांक 30.04.2021 में कर्मचारियों आयु के संबंध में जानकारी बाबत्।

(4) जनसूचना अधिकारी जिनके आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत है। : श्रीमती ईश्वरी सिंह बरगोती

(5) अपील ग्रस्त आदेश का दिनांक : 28.10.2022

(6) अपील निराकरण की समय सीमा : दिनांक 26.11.2022 (30 दिवस)
दिनांक 11.12.2022 (45 दिवस)

अपील सुनवाई दिनांक	अपीलीय अधिकारी के हस्ताक्षर सहित आदेश पत्र अथवा कार्यवाही	संबंधित के हस्ताक्षर
दिनांक 16.11.2022	1. प्रथम अपील की कार्यवाही शुरू की गई। अपीलार्थी ने अपने पक्ष में तर्क प्रस्तुत किये जिसमें उन्होनें बताया कि जनसूचना अधिकारी द्वारा उनके द्वारा चाही गयी जानकारी मांग अनुरूप नहीं प्रदान की गई। अतः अपीलार्थी ने निवेदन किया कि जनसूचना अधिकारी का कृत्य सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) का उल्लंघन है जिसके तहत जानकारी विभाग से संबंधित न होने पर संबंधित विभाग के लोक प्राधिकारी को अंतरित कर आवेदक को सूचित करना होता है। किन्तु चाही गई जानकारी आपके कार्यालय से जारी निविदा की है जिसमें गार्ड कार्य हेतु अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष रखा गया है। अतः निवेदन है कि इस आयु निर्धारण हेतु प्राप्त दिशा–निर्देश या आदेश या श्रम विभाग का आदेश या नियमावली जिसमें 45 वर्ष की आयु निर्धारण का उल्लेख हो, की सत्यापित प्रति/मार्गदर्शन प्रदान करने की कृपा करें। 2. उपरोक्त के संदर्भ में जनसूचना अधिकारी का पक्ष कथन कि कार्यालयीन पत्र क्रमांक 143 दिनांक 06.10.2022 के माध्यम से आवेदक को यह जानकारी दी गई कि इस कार्यालय से जारी निविदा क्र.S/s-O&M-12/21-24/71 व 72 dated 30.04.2021 में गार्ड कार्य हेतु निर्धारित अधिकतम 45 वर्ष की आयु के संबंध में शासन के कोई दिशा–निर्देश/आदेश इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं हैं। तथापि शासकीय सेवा में भर्ती के लिये अधिकतम आयु सीमा सम्बन्धी छ.ग. शासन के परिपत्र क्रमांक एफ 3–2/2015/1–3 दिनांक 30/01/2019 की प्रति इस कार्यालय में उपलब्ध है। अपीलार्थी को उक्त परिपत्र की प्रति उपलब्ध करायी जा सकती है। 3. उपरोक्त दोनो पक्षों के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया जाता है कि अपीलार्थी को अधिनियम के प्रावधानों के तहत सूचना/जानकारी के रूप में छत्तीसगढ़ शासन के पत्र क्रमांक एफ 3–2/2015/1–3 दिनांक 30/01/2019 की प्रति निःशुल्क उपलब्ध कराई जावे। 16/11 अपीलीय अधिकारी सह अधीक्षण अभियंता कार्या0 कार्यपालक निदेशक (उपकेन्द्र –संचा./संधा.) छ.ग.स्टे.पा.ट्रांस.कं.लिमि. रायपुर	हस्ताक्षर श्री विजय राव देवरणकर (अपीलार्थी) 16/11/22 हस्ताक्षर श्रीमती ईश्वरी सिंह बरगोती (जनसूचना अधिकारी)

प्रतिलिपिः–

1. श्री विजय राव देवरणकर, एल.आई.जी. ब्लॉक 19/219, कबीर नगर, आदर्श चौक के पास जिला–रायपुर (छ.ग.)।
2. जनसूचना अधिकारी सह कार्यपालन अभियंता, कार्या0 कार्यपालक निदेशक (उपकेन्द्र –संचा./संधा.) छ.ग. स्टे. पा. ट्रांस. कं. लिमि., रायपुर।